

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3642 प्रश्नांक "क" का परिशिष्ट—"अ" का पेज क्रमांक 01  
प्रश्नकर्ता का नाम —: श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, दिनांक 07-03-20023/ 27-03-2023

578 (8)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जून 2017

अनुसूची-दो  
(नियम 6 देखिए)  
भर्ती का तरीका

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रधान परिचारिका/मेड्रन (महिला)	303	—	100%	—	—
2	नर्सिंग सिस्टर (महिला)	720	10%	90%	—	—
3	नर्सिंग ब्रदर	51	—	100%	—	—
4	सिस्टर शिक्षिका/सिस्टर द्यूटर (महिला)	328	10%	90%	—	—
5	स्टाफ परिचारिका/स्टाफ नर्स (महिला)	10720	90%	10% (विभागीय ए.एन.एम./ एल.एच.व्ही. द्वारा जी.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात्)	—	—
6	पुरुष स्टॉफ नर्स	667	100%	—	—	—

टिप्पणी :- विभागीय ए.एन.एम. एवं महिला स्वास्थ्य परिदर्शक प्रशिक्षित उम्मीदवार (एल.एच.व्ही.) (हायर सेक्रेण्टरी-फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉयलाजी से उत्तीर्ण) को जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् उम्मीदवार को स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर पदोन्नत किया जावेगा। विभागीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु इन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (सभी प्रवर्गों के लिए) होगी।

*N. Sharma*  
उप संचालक (नर्सिंग)  
संचालन विभाग  
मध्यप्रदेश